भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2070

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं की खरीद

2070. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी संस्थाओं की वर्ष-वार और इकाई-वार संख्या कितनी है जो अधिदेशित खरीद लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं;

(ग) महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए विशिष्ट लक्ष्य और वर्ष-वार हासिल किए गए वास्तविक खरीद प्रतिशत क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने अनुपालन में सुधार लाने के लिए कोई समीक्षा या सुधारात्मक उपाय किए हैं और यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : एमएसएमई संबंध पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीद, जिसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के स्वामित्व वाले उद्यम भी शामिल हैं, का विवरण अनुबंध पर दिया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) सहित मंत्रालयों/विभागों की खरीद का वर्ष-वार विवरण सार्वजनिक डोमेन: https://sambandh.msme.gov.in. में पोर्टल पर उपलब्ध है।

(ग) : सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुसार, एमएसई से खरीद का लक्ष्य 25% है, जिसमें 4% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों और 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों से है। वर्ष-वार आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के सहयोग से एमएसई से सीपीएसई द्वारा सार्वजनिक खरीद के अनुपालन की समीक्षा की है।

अनुबंध

"महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं की खरीद" पर लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2070, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ग) में संदर्भित अनुबंध।

सीपीएसई द्वारा एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद का विवरण

वित्त वर्ष	कुल खरीद (करोड़ रुपए में)	एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)	महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)
2021-22	1,65,383.04	53,778.58 (32.52%)	1,302.50 (0.79%)	1,713.27 (1.04%)
2022-23	1,74,316.39	64,679.11 (37.10%)	1,546.91 (0.89%)	2,318.99 (1.33%)
2023-24	1,71,784.87	75,127.52 (43.73%)	1,779.26 (1.04%)	3,200.39 (1.86%)
2024-25	2,20,465.76	94,479.09 (42.85%)	3,804.75 (1.73 %)	6,514.85 (2.96%)
2025-26	2,36,087.44	1,15,798.39 (49.04%)	3,984.29 (1.69%)	9,059.77 (3.84%)

स्त्रोत:एमएसएमई संबंध पोर्टल